–पचास–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या–क0नि0–5–305–11–2005–500(136) 2003
लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–22

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या क0स0वि0 5–3706/11–98–500(20)/90, दिनांक 31 अगस्त, 1998 का आंशिक उपान्तरण करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, राज्य की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के पैरा 421, 422, 423 और पैरा 83 के खण्ड (क) से (च) में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ–2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों और अन्य विवरणों के लिए निष्पादित उक्त अनुसूची के स्तम्भ–4 में यथा दर्शित लिखतों के संबंध में प्रभार्य, इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ–3 में यथा दर्शित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त छूट किसी उद्यमकर्ता के पक्ष में किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए निष्पादित प्रथम लिखत पर ही प्रदान किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सम्बन्धित जिला, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार अन्तरित स्थावर सम्पत्ति का उपयोग, उक्त नीति में वर्णित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य की अनुसूची औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 की प्रस्तर संख्या	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा एक–ख की अनुच्छेद
1	2	3	4
4.2.1	(क)–पूर्वान्चल के 29 जिलों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में नयी लघु या लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
	(ख)–पूर्वान्चल के 29 जिलों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में नयी मध्यम या वृहत् औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु।	आधा	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)

	(ग)–राज्य के शेष जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु	आधा	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
4.2.2	अवस्थापना सुविधाओं के विकास अर्थात औद्योगिक आस्थानों की स्थापना, सड़कों, पुलों, ओवरब्रिज, थोक बाजारों, ट्रांसशिपमेण्ट केन्द्रों, एकीकृत ट्रांसपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्रों, कन्टेनर डिपो, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, जल निकासी, प्रदर्शनी केन्द्रों वेयर हाउस हेतु भूमि का हस्तांतरण।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
4.2.3	सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क) तथा पट्टा
8.2(क) व पट्टा	न्यूनतम 100 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त और सुसंगत	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
	शासनादेश में यथाविहित चिकित्सा प्रयोजन के लिए उल्लिखित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल से युक्त और सुसंगत शासनादेशों में यथा उपबंधित ऐसी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त बहुविध सुविधा वाले चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण,		अनुच्छेद 35
8.2(ख) व पट्टा	सुसंगत शासनादेश में यथा उपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
	युक्त अतिविशिष्टायुक्त चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण,		अनुच्छेद 35
8.2(ग) व पट्टा	न्यूनतम 50 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त और सुसंगत	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
	शासनादेश में यथा उपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला व तहसील मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थापित चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण।		अनुच्छेद 35
8.2(घ) व पट्टा	न्यूनतम 30 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त और सुसंगत	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
	शासनादेश में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त (विकास खण्ड मुख्यालय से भिन्न) किसी ग्राम में स्थापित चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण।		अनुच्छेद 35
8.2(ङ) व पट्टा	विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला मुख्यालय से भिन्न हों)	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
	पर स्थापित ऐसे तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, जिनमें न्यूनतम 75 छात्र/प्रशिक्षु हों, और जिसमें चलाया जा रहा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण।		अनुच्छेद 35
8.2(च) व पट्टा	ऐसे चिकित्सा व दन्त महाविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्था,	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क)
	मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर, शापिंग माल्स व मनोरंजन केन्द्र जिनमें निर्माण व मशीनरी की लागत दस करोड़ रुपये से कम न हो तथा जिनमें चिकित्सा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 845/5–1–04(28) 2002, दिनांक फरवरी 27, 2004 तथा संबंधित सरकारी विभागों द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में		अनुच्छेद 35

यथा उपबंधित सुविधायें उपलब्ध हों तथा शर्तें पूरी करती हों,
के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

(क)–पूर्वान्चल के 29 जिलों में फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बलरामपुर, चन्दौली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सन्त कबीर नगर, राजस्व जिले सम्मिलित होंगे।

(ख)–बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में झाँसी, जालौन, ललितपुर, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट के राजस्व जिले सम्मिलित होंगे।

(ग)–राज्य के अवशेष जिलों का तात्पर्य उन जिलों से है, जिनका उल्लेख उपरोक्त खण्ड (क) व (ख) में नहीं है।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
बचित्तर सिंह,
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no K.N. 5-305/XI-2005-500(136)-2003, dated January 19, 2005 for general information :

No. K.N. 5-305/XI-2005-500(136)-2003
Lucknow, Dated January 19, 2005
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the general Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor in partial modification of Government notification no. K.S.V. 5-3706/XI-98-500(20)-90, dated August 31, 1998 is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent as shown in column-3 of Schedule to this notification, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule, executed for the purposes provided in paragraphs 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 and clauses (a) to (f) of paragraph 8.2 of the Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004 of the State and for purposes and other details as mentioned in column-2 of the said Schedule. The above exemption shall be granted only on the first instrument executed for the transfer of an immovable property in favour of

an entrepreneur. The District Magistrate or General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as a witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy. The immovable property so transferred shall not be used for a purpose other than the purpose described in the said policy.

SCHEDULE

Paragraph number of the Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004 of the State	Purpose and other details	Extent of remission	Nature of instrument and Article number of Schedule 1-B
1	**2**	**3**	**4**
4.2.1 Article 23(a)	(a) For setting up of New Small Scale or Tiny Industrial Units in 29 districts or Purvanchal and in 7 districts of Bundelkhand.	Full	Conveyance
Article 23(a)	(b) For setting up of New Medium or Large Industrial Units in 29 districts of Purvanchal and in 7 districts of Bundelkhand.	Half	Conveyance
Article 23(a)	(c) For setting up of Industrial Units in rest of the districs of the State.	Half	Conveyance
4.2.2 Article 23(a)	Transfer of land for development of infrastructure facilities viz., for establishing Industrial Estates, roads, bridges, overbridges, wholesale market, Transhipment Centre, Integrated Transport and Commercial Centre, Container Depot, Electricity Supply, Water Supply, Water Drainage, Exhibition Centres, Warehouse.	Full	Conveyance
4.2.3 Article 23(a) and	Establishment of Information Technology, Bio - Technology, Business Process Outsourcing Units, Call Centres, Agro-Processing Units.	Full	Conveyance Lease Article 35
8.2(a) Article 23(a) and	Transfer of immovble property for such multifacility Hospital having an established capcity of minimum 100 beds and having an area which is more than the area for medical purpose as prescribed in the relevant Government order and having such dedical facilities as provided in the relevant Government order.	Full	Conveyance Lease Article 35
8.2(b) Article 23(a) and	Transfer immovable property for a Super-speciality Hospital having medical facilities as provided in the relevant Government order.	Full	Conveyance Lease Article 35
8.2(c) Article 23(a) and	Transfer of immovable property for a Hospital established in a Block Headquarter (which is different from a tehsil and district headquarter) having an established capacity of munimum 50 beds and having such medical facilities as provided in the relevant Government order.	Full	Conveyance Lease Article 35

8.2.(d) Article 23(a) and	Transfer of immovable property for a Hospital established in a village (which is different from a Block Headquarter) having an established capacity of minimum 30 beds and having such medical facilities as provided in the relevant Government order.	Full	Conveyance Lease Article 35
8.2(e) Article 23(a) and	Transfer of immovable property for a Training Institute for Technical or Information Technology established in a Block Headquarter (which is defferent from a district Headquarter) having a minimum of 75 students/trainees and which is running on a syllabus approved by the State Government.	Full	Conveyance Lease Article 35
8.2(f) Article 23(a) and	Transfer of immovable property for a Medical or Dental college or other Educational Institutions, Multiplex Cinema Hall, Shopping Malls, Entertainment Centres in which the cost of construction and machinery is not less than rupees ten crore and which have such facilities and which fulfil the conditions as have been provided in Government order no. 845/V-1-2004(28)-2002, dated February 27, 2004 issued by Medical Section-1, Government or Uttar Pradesh and other relevant Government orders issued by the related Government Departments from time to time.	Full	Conveyance Lease Article 35

Explanation-For the purposes of this notification-

(a) 29 districts of Purvanchal shall comprise of the revenue districts of Faizabad, Sultanpur, Barabanki, Gonda, Bahraich, Basti, Siddarthnagar, Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Kushinagar, Azamgarh, Mau, Ballia, Varanasi, Ghazipur, Jaunpur, Mirzapur, Sonbhadra, Sant Ravidasnagar, Allahabad, Fatehpur, Pratapgarh, Balrampur, Chandauli, Sravasti, Kaushambi, Ambedkarnagar, Sant Kabirnagar.

(b) 7 district of Bundelkhand shall comprose of the revenue districts of Jhansi, Jalaun, Lalitpur, Banda, Mahoba, Hamirpur, Chitrakoot.

(c) rest of the district of the State mens the destricts of the state which are not mentioned in clauses (a) and (b) above.

By order,
Sd/-Illegible
BACHITTAR SINGH,
Sachiv.

प्रेषक,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0 4451–4501/स्टाम्प–111/97–98 दिनांक 07.03.06

विषय– औद्योगिक संस्थानों द्वारा कराये गये अन्तरणों पर स्टाम्प शुल्क की छूट विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में जारी अधिसूचना स0क0 नि0–5–305/11–2005–500(136)/2003 दिनांक 19.1.05 तथा सं0 क0नि0–5–306/11–2005–500(136)/2003 दिनांक 19.1.05 में क्रमशः अधिसूचना सं0 क0नि0–5–495/11–2005–500(136)/2003 दिनांक 08.02.06 तथा स0क0नि0–5–496 /11–2005 –500 (136) /2004 दिनांक 08.02.06 द्वारा संशोधन किया गया है।

उक्त अधिसूचना/शासनादेशों की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(आर0पी0 सिंह)
अपर आयुक्त स्टाम्प

संख्या व दिनांक उपरोक्त :–

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना की छाया प्रतियाँ जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों को भी अनुपालनार्थ उपलब्ध करा दें।
2. सभी अधिकारी गण मुख्यालय इलाहाबाद व शिविर कार्यालय लखनऊ।
3. गार्ड फाइल मुख्यालय इलाहाबाद/शि0का0ख0/ लखनऊ/अपर सचिव, राजस्व परिषद में चस्पा करने हेतु।

ह0अस्पष्ट
(आर0पी0 सिंह)
अपर आयुक्त स्टाम्प।

संख्या–1039/45 वि./06–7(17) वि/04

प्रेषक,

नागेश्वर नाथ उपाध्याय,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,

2. अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा।

3. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी., कानपुर।

4. आयुक्त, उ.प्र. आवास विकास परिषद, लखनऊ।

5. निदेशक, उद्योग, कानपुर।

6. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उ.प्र., लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2006

विषयः– औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जैव इकाईयों को स्टैम्प शुल्क से छूट दिये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या–क.नि.–5–305/11–2006–500(136)–2003, दिनांक 19 जनवरी, 2005 एवं औद्योगिक विभाग के शासनादेश संख्या–3014/77–6–05–500 (40)/2000, दिनांक 19.12.2005 एवं तत्क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या–स.वि.क.नि.–5–495/11–2006–500(136)/2003, दिनांक–8 फरवरी, 2006 तथा अधिसूचना संख्या– सं.वि.क.नि.–5–2747/11–2006 –500(136) /2003, दिनांक–7 अगस्त, 2006 एवं अनुवर्ती अधिसूचना संख्या–सं.वि.क.नि.–5– 2748/11 – 2006 –500(136)/2003, दिनांक–7 अगस्त, 2006 द्वारा उ.प्र. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के प्रस्तर संख्या–4.2.3 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग इकाईयों, काल केन्द्रों, कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु हस्तान्तरण अनुच्छेद 23 (क) तथा पट्टा अनुच्छेद–35 के अन्तर्गत स्टैम्प शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गयी है। प्रदान की गयी छूट उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी नीति 2004 के प्रस्तर 5.2 तथा 5.8 के अनुरूप है। उक्त के अन्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों को भूमि हस्तान्तरण अनुच्छेद–23 (क) तथा पट्टा अनुच्छेद–35 के अन्तर्गत दी गयी है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के लीज डीड, जिसमें रेण्टल डीड भी सम्मिलित है, पर छूट अनुमन्य होगी।

2. जैव प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों की विषय विविधता, परिमाण, उत्पादन क्षमता तथा प्रक्रियात्मक विविधतायें होने के कारण, आवश्यक भूमि के क्षेत्रफल के मानक का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः जैव प्रौद्योगिकी नीति–2004 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी परियोजना/इकाई के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का निर्धारण परियोजना के आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उप्र. द्वारा अलग से अधिसूचना एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

(प) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ दो प्रतियों में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी तथा नोयडा, ग्रेटर नोयडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा अन्य विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में स्थलीय जांच कराकर, प्रस्तुत अभिलेखों के सापेक्ष्य अन्तरण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कराते हुए तथा परियोजना की लागत के अनुसार आवेदक द्वारा आवश्यक पूंजी व्यवस्था के सम्बन्ध में अभ्युक्ति सहित अपनी संस्तुति अंकित करते हुए आवेदन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक प्रति एक माह के अन्दर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उ.प्र. शासन को प्रेषित करेंगे।

(पप) प्राप्त आवेदन पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्रम में संस्थागत वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.1.2005 के अनुसार प्रस्तावित उद्योग से सम्बन्धित–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को शासन में तैनात अनुसचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(पपप) जैव प्रौद्योगिकी एवं अन्य परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि हस्तान्तरण में देय स्टाम्प ड्यूटी तथा निबन्धन शुल्क में छूट के लिए मानकों एवं पात्रता का निर्धारण तथा परियोजना की स्थापना/निर्माण हेतु समयावधि तथा अवस्थापना सुविधा प्रारम्भ करने हेतु समयावधि इत्यादि का निर्धारण भी इस समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त किया जायेगा।

(पअ) भविष्य में जैव प्रौद्योगिकी इकाई बन्द होने की दशा में भू स्वामी/भूमि अधिग्रहीता द्वारा शासन की संस्तुति के बिना उक्त भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग वर्जित होगा। अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग की दशा में स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की अनुमन्य छूट समाप्त समझी जायेगी तथा अन्य प्रयोजन में उपयोग की तिथि

के समय से जिलाधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित स्टाम्प शुल्क दरों के आधार पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। भुगतान न करने की दशा में बकाया धनराशि भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा तथा साथ ही भारतीय दण्ड संहिता में निर्द्धारित प्राविद्यान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

(अ) सम्बन्धित एजेन्सियों यथा नोयडा, ग्रेटर नोयडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी ऐसे लिखत को तथ्यों की पुष्टि करने के प्रयोजन के साक्षी के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि अन्तरण घोषित नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

3. ''प्रथम लिखत'' का तात्पर्य ऐसे उद्यमकर्ता जो व्यक्ति, निकाय या कम्पनी हो, द्वारा किसी इकाई को स्थापित करने हेतु अपेक्षित समस्त भूखण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है जो सर्वप्रथम बार किया जा रहा हो और यदि ऐसे संव्यवहार से पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख, समयान्तरालों के पश्चात् निष्पादित किया जाता है तो उसका तात्पर्य ऐसे समस्त अन्तरण लिखतों से है।

4. जैव प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास से सम्बन्धित उद्योगों पर भी उक्त शासनादेश लागू होगा। यह नियम समान रूप से विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों पर भी लागू होंगे।

5. उक्त आदेश कर एवं निबन्धन विभाग के परामर्श एवं उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

.....

संख्या–क0नि0 5–2565/11–2008–500 (136)–2003
लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 2008

.....

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–क0सं0वि0 5–3706/11–98–500(20)–98, दिनॉक 31 अगस्त, 1998 में दिनॉक 19 जनवरी, 2005 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूनचा में प्रथम पैरा के अंत में अनुसूची के पहले निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये, जायेंगे:

''परन्तु यह कि यदि ऐसी लिखत पर किसी प्रक्रियात्मक चूक के कारण सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट अथवा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र साक्षी के रूप में हस्ताक्षर न कर सके हों, तो सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि अंतरण की उक्त लिखत पूर्वोक्त नीति के अंतर्गत निष्पादित की गयी है, ऐसे प्रमाण पत्र का वही प्रभाव होगा, मानो ऐसी लिखत को उसके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट अथवा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा साक्षी के रूप में हस्ताक्षरित किया हो :

परन्तु यह भी कि ऐसी लिखत पर पूर्व में भुगतान की गयी शुल्क की कोई धनराशि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किये गये पूर्वोक्त प्रमाण पत्र के आधार पर वापस नहीं की जायेगी।''

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.5-2565/XI-2008-500 (136)-2003, dated July 10, 2008, for general information:

No. K.N.5-2565/XI-2008-500 (136)-2003
Dated July 10, 2008
Notification

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended form to time in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the January 19, 2005 the following amendment in Governor is pleased to make with effect from January 19, 2005 the following amendment in Government notification no. K.S.V.5-3706/XI-98-500 (20)-98 dated August 31, 1998 as amended form time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification: -

The following Provisoes shall be inserted at the end of the first Para appearing before the schedule:

Provided that where the District Magistrate or the General Manager, District Industries Center of the concerned district could not have signed such Instrument as witness due to any procedural omission, the District Magistrate of the concerned district shall issue a certificate to the effect that the Instrument of transfer has been executed under the aforesaid policy; such certificate shall have the same effect as if such Instrument were signed as witness by the District Magistrate or the General Manager, District Industries Center of the concerned district before the registration thereof:

Provided further that any amount of the duty already paid on such Instrument shall not be refunded on the basis of the aforesaid certificate issued by the District Magistrate of the concerned district.

By order,
Sd/-Illegible
GOVINDAN NAIR
Pramukh Sachiv.

संख्या–सी0एस0–276/8–3–2005–42वि/99

प्रेषक,

सुरजीत कौर संघू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ0प्र0, आवास एवं विकास परिषद।
2. समस्त उपाध्यक्ष,
   विकास, प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 28 अक्टूबर, 2005

विषयः मल्टीप्लेक्सेज/छविगृहों को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4218/9–आ–3–99–42 विविध / 99 दिनांक 14.12.2000 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। मल्टीप्लेक्सेज की संख्या में हो रही वृद्धि और इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्राप्त प्रास्तावों के दृष्टिगत मल्टीप्लेक्सेज के भू–आच्छादन एवं ग्राउण्ड कवरेज तथा पार्किंग मानकों के पुर्ननिर्धारण की आवश्यकता अनुभव की गयी।

2. अतः इस सम्बन्ध में संदर्भित शासनादेश दिनांकः 14.12.2000 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण / निर्धारित मानकों में संशोधन का निर्णय लिया गया है।निर्धारित नवीन /संशोधित मानक निम्नवत् होगे :–

(1). सेन्ट्रल बिजनेज डिस्ट्रिक्ट (सी0वी0डी0) में अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ0ए0आर 200 अनुमन्य होगा। डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेन्टर, सेक्टर शापिंग सेन्टर, बाजार स्ट्रीट अथवा महायोजना में चिन्हित किसी अन्य स्थल पर भी अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत ही अनुमन्य होगा, परन्तु एफ0ए0आर0 भवन उपविधियों के अनुसार 120 अनुमन्य होगा।

(2). गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के मानक शासनादेश दिनाकः 14.12.2000 के अनुसाार ही रहेगें।

(3). पार्किग एवं सर्विसेज हेतु बिल्डिगं इन्वेलप लाइन तक तीन बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होग, जिसकी गणना एफ0ए0आर0 में नही होगीं

(4). पार्किंग व्यवस्था हेतु 10 सीट पर एक पार्किंग स्थल तथा शापिंग माल हेतु प्रति 100 मीटर तल क्षेत्रफल पर 2 पार्किगं स्थल अतिरिक्त का प्राविधान किया जायेगा।

(5). खुले क्षेत्र में एक पार्किग सथल का क्षेत्रफल 23 वर्ग मीटर, कवर्ड पार्किग 28 वर्ग मीटर तथा बेसमेन्ट में 32 वर्गमीटर होगा। सेटबैक के अन्तर्गत पार्किग अनुमन्य नही होगीं। भवन मानचित्र के साथ पार्किग प्लान अलग से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें वाहनों को खडे करने एवं उनके सर्कुलेशन की व्यवस्था दर्शायी जायेगी।

(6). भवन की प्लिन्थ एवं बिल्डिंग इन्वेलप लाइन की सीमा के मध्य वेसमेन्ट की छत भूतल के लेबिल में होगी एव उसमें मेकेनिकल वैन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी। स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाईन आदि फायर टेन्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।

3. उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–57 के अन्तर्गत उपयुक्त निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4. शासनादेश दिनांकः 14.12.2000 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझाा जाय। उक्त शासनोदश दिनांकः 14.12.2000 की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,
(सुरजीत कौर संधू)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक (नियेाजन) आवास बन्धु, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियेाजक, उत्तर प्रदेश।
8. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 को इस आशय से प्रेषित कि भवन उपविधियों में उपर्युक्तानुसार मल्टील्पेक्स मानको के प्राविधानों एवं संशोधनों के समावेश हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(शिवजनम चौधरी)
अनुसचिव।